न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
19/2023/प्रा.पत्र/2023	17.02.2023	29.07.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा निवासी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड—304502 मोबाईल नं. 9828668084

2—मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड—304502

3—सुश्री रचना सेठिया पुत्र श्री कन्हैया लाल निवासी फ्लैट नं. 302 बाबा रेजीडेन्सी कनक विहार हीरापुरा पावर हाउस अजमेंर रोड जयपुर राज. नॉमिनी मैसर्स सेठिया मार्केटिंग 6 एफ 37 महिमा त्रिनिटी स्वेग फार्म न्यू सांगानेर रोड जयपुर राज.। पिनकोड—302019 नॉमिनी मैसर्स सेठिया स्वीट् प्रोडक्ट्स एफ—262 बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज. पिनकोड—334001

4—मैसर्स सेठिया मार्केटिंग 6 एफ 37 महिमा त्रिनिटी स्वेग फार्म न्यू सांगानेर रोड जयपुर राज.। पिनकोड—302019

5—मैसर्स सेठिया स्वीट् प्रोडक्ट्स एफ—262 बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज. पिनकोड—334001

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थीगण की ओर निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री प्रवीण जैन उप.।

:—निर्णय—: **दिनांक 29.07.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 15.10.2022 को समय 05:30 पीएम पर मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, श्री मदन लाल शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर ने श्री मदन लाल शर्मा ने स्वयं को

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कन्फैंक्शनरी, घी, तेल, मसाले के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 120 नग मूल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 400–400 ग्राम पैक **सोन पपडी (मिलन ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री मदन लाल शर्मा को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री मदन लाल शर्मा एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **सोन पपडी (मिलन ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर यूएन2161वीए एवं पैकिंग की दिनांक 15.09.2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 400–400 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सोन पपडी (मिलन ब्राण्ड)** 400–400 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में अलग–अलग रखकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियामनुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3307 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3307 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषेक राज्य केन्द्रीय जन स्वारथ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मदन लाल शर्मा पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा मैसर्स तिवाडी एन्टरप्राईजेज नवीन मण्डी मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सेठिया मार्केटिंग 6 एफ 37 महिमा त्रिनिटी स्वेग फार्म न्यू सांगानेर रोड जयपुर राज. का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स मैसर्स सेठिया मार्केटिंग 6 एफ 37 महिमा त्रिनिटी स्वेग फार्म न्यू सांगानेर रोड जयपुर से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स सेठिया स्वीट् प्रोडक्ट्स एफ–262 बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज. का बिल पेश किया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/3700 दिनांक 18.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/3048/एक्ट/2022/3081 दिनांक 28.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **सोन पपडी (मिलन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री प्रवीण जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया हैं। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सोन पपडी (मिलन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सोन पपडी (मिलन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुरेश चौधरी)
न्याय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक